राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 412/2016

डॉ. प्रवेश कुमार चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
4. प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2016
आदेश की दिनांक : 05.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अरूण शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2013 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अनुदेशक के पद पर पदस्थापित किया जावे, साथ ही आदेश दिनांक 17.10.2015, 30.11.2015 एवं 29.01.2016 को भी अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अनुदेशक के पद पर कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता पी.जी.डी.सी.ए., एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस), बी.एड., एम.ए., एम.फिल एवं पी.एच.डी. रखता है और अपीलार्थी को अनुदेशक के पद पर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (बी.टी.टी.सी.) गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, जिला चूरू में नियुक्ति हुई, जो अधिनियम 1989 के अंतर्गत राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान है। उसका चयन आदेश दिनांक 20.06.1997 के द्वारा अनुमोदित था और दिनांक 17.09.1999 के द्वारा स्थायी किया गया। अपीलार्थी का

निर्धारण नियम 2009 के अंतर्गत किया गया तथा उसका वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में निर्धारित किया गया और दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 में पुनर्निर्धारण किया गया। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 दिनांक 01.02.2010 से लागू हुआ और इसके अंतर्गत राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थानों के कार्मिकों की सेवाएं ली गई। अपीलार्थी की सेवा आदेश दिनांक 01.05.2012 के द्वारा राज्य के अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं को कॉलेज शिक्षा में लिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को दिनांक 02.05.2012 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया और सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, बीकानेर के समक्ष अनुदेशक के तौर पर कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को राजकीय पी.जी. कॉलेज कालाडेरा, जयपुर में कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक के पद पर दिनांक 11.07.2012 पदस्थापित किया गया, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट होता है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण रिपोर्ट दिनांक 16.07.2012 को उक्त कॉलेज में प्रस्तुत की। आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी को खैरवाडा, उदयपुर में कार्यालय अधीक्षक के पद के विरूद्ध स्थानान्तरित किया गया। उनका कथन है कि नियम, 2010 के नियम 5(iii) में यह स्पष्ट है कि नियुक्त कार्मिक को कॉलेज/विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यदि उसके समकक्ष कोई पद नहीं है तो उन्हें किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिस पर वेतनमान समान हो। आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी को अनुदेशक कम्प्यूटर शिक्षा के बजाय कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। जबकि कार्यालय अधीक्षक का पद गैर शिक्षण का पद है, जो कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक से नीचे का पद है, जबकि अपीलार्थी वर्ष 1997 से कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक के पद पर कार्य करते हुए 19 वर्ष का समय हो चुका है। अपीलार्थी ने उक्त पदस्थापन के बारे में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन दिए परंतु उन पर कोई विचार नहीं किया गया और आदेश दिनांक 27.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी को खैरवाडा, उदयपुर से सीमेट, गोनेर, जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। आदेश दिनांक 13.05.2015 के द्वारा अपीलार्थी को पुनः खैरवाडा, उदयपुर स्थानान्तरण कर दिया गया, जबकि उदयपुर में कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक का कोई पद नहीं था। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिए जाने पर भी प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.06.2015 के द्वारा उसके अनुरोध को इनकार कर दिया। पत्र

दिनांक 07.10.2015 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय अधीक्षक के पद के विरूद्ध वेतन दिए जाने का आदेश दिया गया।

उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान प्रकरण श्रीमती बसोभी भटनागर का भी मामला है जो अनुदेशक था और उसे व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को भी विभाग द्वारा उच्च पद से निम्न पद पर पदस्थापित किया गया जो राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 04.10.2013 को चुनौती देते हुए, एस.बी.सी.डब्ल्यू संख्या 11347/2014 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.01.2015 को पारित करते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तथा प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद भी प्रत्यर्थी विभाग ने उसका कोई निराकरण नहीं किया। अपीलार्थी ने पुनः रिट याचिका संख्या 2971/2016 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया और अपीलार्थी ने आदेश की पालना के क्रम में अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2013 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अनुदेशक के पद पर पदस्थापित किया जावे, साथ ही आदेश दिनांक 17.10.2015, 30.11.2015 एवं 29.01.2016 को भी अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अनुदेशक के पद पर कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभागीय आदेश दिनांक 04.10.2013 व 17.10.2015 नियमानुसार जारी किया गया है। आर.वी.आर.ई.एस. नियमों के अंतर्गत स्क्रीनिंग माध्यमिक शिक्षा द्वारा की गई थी न कि उच्च शिक्षा द्वारा। बी.एड. शिक्षा दिनांक 24.04.2012 की अधिसूचना के पश्चात् नवीन बी.एड. महाविद्यालय खोलने व पाठ्यक्रम क्रमोन्नत करने का कार्य उच्च शिक्षा के अधीन आ गया था। इसलिए अपीलार्थी से बी.एड. के अन्य समायोजित कार्मिकों के पदस्थापन करने हेतु माध्यमिक शिक्षा द्वारा इन कार्मिकों को उच्च शिक्षा विभाग भेजा गया, जहां पर दिनांक 01.05.2012 के आदेश द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अंतर्गत पूर्व में किसी भी महाविद्यालय में बी.एड. संचालित नहीं था। इसलिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र

के 5 महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की तथा अपीलार्थी सहित बी.एड. के समस्त कार्मिकों को इन महाविद्यालयों में बी.एड. संकाय में नियुक्ति प्रदान की गई। बी.एड. के समायोजित कार्मिकों को इनके समतुल्य पदों पर लगाया गया। राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर अनुदेशक के पद स्वीकृत नहीं हैं तथा राज्य सेवा में कार्यालय अधीक्षक तथा अनुदेशक का वेतनमान समान होने के कारण सक्षम स्तर से अनुमति पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 04.10.2013 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत था और उसे कार्यालय अधीक्षक के पद के विरूद्ध लगाया गया। आर.वी.आर.ई.एस. नियम, 2010 के नियम 5(iii) में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि *''नियुक्त कर्मचारियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों/यथा स्थिति, विद्यालयों में अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट समतुल्य पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। तथापि सरकार में ऐसे समतुल्य न होने के मामले में उन्हें सहायता प्राप्त पदों के समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा।''* अपीलार्थी को अपने अनुदानित पद के समान वेतन वाले पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्यालय अधीक्षक तथा कम्प्यूटर अनुदेशक दोनों की वेतन श्रृंखला भिन्न है, यह तथ्य अपीलार्थी का गलत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन श्रृंखला 9300–34800 होने तक का ही प्रत्यर्थी विभाग ने उल्लेख किया है जबकि अपीलार्थी ने पहले ही अपील के बिंदु संख्या 2 में उपरोक्त वेतन श्रृंखला के साथ ग्रेड पे 4200 होने व दिनांक 01.07.2013 से रिवाईज्ड ग्रेड पे 4800 होने का उल्लेख किया है और उसी के अनुरूप कार्यालय अधीक्षक पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 ही है। किंतु दिनांक 01.07.2013 पूर्व कार्यालय अधीक्षक का ग्रेड पे 3600 व दिनांक 01.07.2013 से रिवाईज्ड ग्रेड पे 4200 मात्र ही है, जिससे दोनों पदों के वेतनमान में अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला 2200–3500 स्पष्ट रूप से अंकित है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति के समय चतुर्थ वेतनमान लागू था जो कि वर्ष 1998 में पांचवा वेतनमान लागू होने पर 6500–10500 नियत हुआ और जबकि कार्यालय अधीक्षक की वेतन श्रृंखला भी चतुर्थ वेतनमान में 1640–2900 तद्र्थ अनुसार जो पांचवें वेतनमान में 5500–9000 में नियत हुई। उनका यह भी कथन है कि कार्यालय अधीक्षक के प्रतिकूल पदस्थापन

के आदेश में अपीलार्थी को कार्यालय अधीक्षक के प्रतिकूल पद पर पदस्थापन को चुनौती दी है क्योंकि कार्यालय अधीक्षक का पद गैर शैक्षणिक पद की श्रेणी मे आता हैं तथा व्याख्याता व अपीलार्थी का मूल नियुक्ति पद अनुदेशक कम्प्यूटर शिक्षा पद शैक्षणिक पदें की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी स्वयं के राज्य सरकार की सेवा में समायोजन को चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थी ने दिनांक 041.10.2013 के आयुक्तालय के आदेश और उसके शैक्षणिक पद पर अथवा शैक्षणिक पद के प्रतिकूल पदस्थापन न किए जाने के स्थान पर गैर शैक्षणिक पद कार्यालय अधीक्षक के प्रतिकूल गैर कानूनी पदस्थापन को चुनौती दी है, जो अनुचित व अवैद्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के जवाबुल जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि आर.वी.आर.ई.एस. नियमों के अंतर्गत स्क्रीनिंग माध्यमिक शिक्षा द्वारा की गई थी। दिनांक 24.04.2012 की अधिसूचना के पश्चात् क्रमोन्नत करने का कार्य उच्च शिक्षा के अधीन आ गया था इसलिए अपीलार्थी सहित बी.एड. अन्य समायोजित कार्मिकों के पदस्थापन करने हेतु विभाग भेजा गया। राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत नहीं है तथा राज्य सेवा में कार्यालय अधीक्षक तथा अनुदेशक का वेतन समान होने के कारण सक्षम स्तर से अनुमति पश्चात् अपील कर्ता को पदस्थापित किया गया। उनका आगे कथन है कि उनके साथ भेदभाव करते हुए कार्यालय अधीक्षक के विरूद्ध पदस्थापना घोर अन्याय किया गया है स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी को नियमों में उनके द्वारा दिये गये विकल्प तथा आर.वी.आर.ई.एस. नियमों में वर्णित सेवा शर्तों के मानने संबंधी वचन बंध निष्पादित करने के फलस्वरूप आर.वी.आर.ई.एस. में लिया गया है तथा आर.वी.आर.ई.एस. नियमों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राज्य सरकार के अधीन समकक्ष पद उपलब्ध नहीं होने पर समान वेतनमान वाले पद के विरूद्ध अपीलार्थी को पदस्थापित किया जा सकेगा। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलार्थी आधारहीन तथा खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा जवाबुल जवाब में प्रस्तुत आधार स्वीकार योग्य नहीं है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुमोदन आदेश दिनांक 20.06.1997 के द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था (मान्यता, सहायक अनुदान और सेवा शर्तों आदि) नियम, 1993 के नियम 28 सपठित परिशिष्ठ 10(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई और आदेश दिनांक 17.09.1999 के द्वारा अपीलार्थी को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (बी.टी.टी.सी.) गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, जिला चूरू में अनुदेशक के पद पर दिनांक 01.09.1999 से उक्त नियम 1993 के अनुदान नियम 31 के अनुसार स्थायी किया गया। अपीलार्थी का वेतन निर्धारण नियम 2009 के अंतर्गत किया गया तथा उसका वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में निर्धारित किया गया और अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 में पुनर्निर्धारण किया गया। अपीलार्थी की सेवा आदेश दिनांक 01.05.2012 के द्वारा राज्य के अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं को कॉलेज शिक्षा में लिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को दिनांक 02.05.2012 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया और सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, बीकानेर के समक्ष अनुदेशक के तौर पर कार्यग्रहण किया। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवाएं कम्प्यूटर अनुदेशक के तौर पर कई जगह ली गई। परंतु आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी को खैरवाडा, उदयपुर में कार्यालय अधीक्षक के पद के विरूद्ध स्थानान्तरित किया गया। जबकि नियम, 2010 के नियम 5(iii) में यह स्पष्ट है कि नियुक्त कार्मिक को कॉलेज/विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यदि उसके समकक्ष कोई पद नहीं है तो उन्हें किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिस पर वेतनमान समान हो। आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी को अनुदेशक कम्प्यूटर शिक्षा के बजाय कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया। जबकि कार्यालय अधीक्षक का पद गैरशिक्षण का पद है, जो कम्प्यूटर अनुदेशक से नीचे का पद है, अपीलार्थी वर्ष 1997 से कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्य कर रहा है। अपीलार्थी को 2200–4000 एवं 2000–3500 वेतनमान में नियुक्त किया गया था और अधिसूचना दिनांक 17.02.1998 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि 2000–3500 वेतनमान को 6500–200–10500 में पुनर्निर्धारण किया गया तथा अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 (अनुलग्नक आर–1) के द्वारा वेतनमान 6500–10500 वेतनमान को ग्रेड पे 4800 में परिवर्तित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्प्यूटर अनुदेशक के पद की ग्रेड पे 4800 है। जबकि

कार्यालय अधीक्षक के पद का वेतनमान 1640–2900 को 5500–175–9000 में परिवर्तित किया गया और 5500–9000 को आगे 4200 ग्रेड पे में परिवर्तित किया गया जो अनुदेशक के पद की ग्रेड पे से कम है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है, जो अनुचित प्रकट होता है। चूंकि उक्त पद गैरशिक्षण पद है और कम्प्यूटर अनुदेशक के पद के ग्रेड पे से कार्यालय अधीक्षक के पद की ग्रेड पे कम है। इस प्रकार निम्नतर पद पर पदस्थापित किया जाना राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2013 (अनुलग्नक–7), दिनांक 17.10.2015 (अनुलग्नक–20), दिनांक 30.11.2015 (अनुलग्नक–21) एवं दिनांक 29.01.2016 (अनुलग्नक–25) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को कम्प्यूटर अनुदेशक या उसके समकक्ष पद पर पदस्थापित करें, जो गैरशिक्षण पद न हो। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य